21/11/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता
वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम
डाबरी काकाजी के खसरा नं 326 रकबा 29
बीघा 15 बिस्वा में से 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि
पर करीब 30 वर्षों से काबिज काश्त है।
उक्त आराजी सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी संवत 2032-35
में बिला चक काबिल काश्त दर्ज थी। सेटलमेंट
के बाद आराजी के नए नम्बर $\frac{499}{0.97}$, $\frac{500}{2.34}$,
$\frac{632}{0.10}$, $\frac{506}{0.86}$, $\frac{759}{0.07}$ कुल किता 5 रकबा
4.27 हेक्टेयर दर्ज किए गए जबकि सेटलमेंट
के पूर्व 4.70 हेक्टेयर दर्ज थी। इस प्रकार सेटलमेंट
विभाग विभाग ने रकबे में 0.43 हे0 की कमी

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज0)

कर दी। इस बाबत प्रार्थिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र सं० 222/02 दर्ज किया जाकर तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने दिनांक 13/12/05 को एक निर्णय पारित किया तथा समान प्रकृति के एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR में दिनांक 20/4/09 को एक अन्य निर्णय पारित किया गया। निर्णय दिनांक 20/4/09 में तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि ग्राम डाबी आकाजी के खस० नं० 507 रकबा 2.93 है० में किस्म चारागाह में से बेशी रकबा 0.37 है० को बंजड किस्म में तब्दील करने से प्रार्थिया की समस्या का समाधान हो सकता है। जिसका नामान्तरण तहसीलदार अंता ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि "वक्त आवंटन आदेश में यह लिखा है कि प्रार्थिया को प्राथमिकता के आधार पर पात्रता रखती है तो आवंटन की कार्यवाही की जावे।"

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज०)

जा
तामी

~~स्व~~ के आदेश हुए हैं। यह निर्णय नहीं किया गया है कि चारागाह को सिवाय चक दर्ज कर दिया जावे। तहसीलदार द्वारा किए गए इस नामान्तरण आदेश से आहत होकर समान प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा तीसरी बार 136LR act का प्रार्थना पत्र लगाया है। न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा पारित निर्णयों दिनांक 13/12/2005 एवं 20/4/2019 की पालना कराते हुए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करवाया जावे।

बहस अधिवक्ता सुनी गई।

तहसीलदार अंता द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार दिनांक 20/6/2018 का अवलोकन किया गया। पूर्व के प्रार्थना पत्र नं 222/02 के निर्णय दिनांक 13/12/2005 एवं 20/4/2019 का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। धारा 136 LR act का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। धारा 136 LR act के अनुसार भू-धारक की सहमति से सेटलमेंट संक्रियाओं के दौरान हुई लिपिकीय ~~त्र~~ त्रुटियों को ही दुरुस्त किया जा सकता है।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज०)

तारीख व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिबल्स जज
	हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थीया बार-बार LR act 136 मे प्रकरण दर्ज कराकर अनुतोष प्राप्त करना चाहती है। संक्षेपत: प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आराजी के एक भाग पर अतिक्रमी है एवं लगातार अतिक्रमण के आधार पर नियमन / आवंटन की कार्यवाही अपने पक्ष में करवाना चाहती है, ऐसी कोई रिलीफ प्रार्थीया को LR act 136 के तहत प्रदान नहीं की जा सकती, जिसकी प्रार्थीया अधिकारिणी नहीं है, वस्तुत: यह प्रार्थना पत्र घुमा कर कान पकड़ने की मंशा से प्रस्तुत किया गया अधिक जाहिर होता है। प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत जिसकी आराजी सिवायचक / चारागाह है जिसकी रकबा अथवा नक्शा शुद्धि करवाने का प्रार्थीया का Locous standi नहीं है। पूर्व के 136 LR act के प्रार्थना पत्र के आदेश दिनांक 20/04/2019 में केवल ~~रकबा~~ (अंजली सहरावत) उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिबल्स जज	नम्बर व ता0 अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
एडवायजरी (सलाह) जारी की गई है कि यदि प्रार्थीया आवंटन की पात्रता रखती हो तो समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर आवंटन करवा सकती है। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीया का locus standi नहीं होने से, ~~तहसील~~ तहसीलदार की सहमति नहीं होने से तथा धारा 136 LR act के प्रावधानों के अन्तर्गत कवर (cover) नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (अंजना सहरावत) उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)	